



पत्रांक:-Acctts/217/2014-15/ 1590  
सेवा में,

दिनांक:- 01/03/2021

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
ग्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान  
बिहार शिक्षा परियोजना,  
सभी जिला।

विषय:- जिला स्तरीय कार्यालय के अन्तर्गत नियुक्त कर्मियों के E.P.F. की कटौती राशि को जमा करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि कार्यालय आदेश पत्रांक 515 (लेखा) दिनांक 16.01.2010 द्वारा राज्य स्तरीय कार्यालय एवं जिला स्तरीय कार्यालय में प्रबंधन संरचना के अंतर्गत संविदा पर नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों को भविष्य निधि योजना का सदस्य बनाकर इस योजना का लाभ देने हेतु निदेश दिया गया था। इस निदेश के आलोक में राज्य स्तरीय कार्यालय एवं जिला स्तरीय कार्यालय में प्रबंधन संरचना के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।

कार्यालय पत्रांक K.G.B.V./75/2008-09/598 दिनांक 21.01.2019 एवं कार्यालय पत्रांक IE/27/2010-11/Part-II/8842 दिनांक 16.10.2019 द्वारा जिले के कस्तूरबा गौंधी बालिका विद्यालय में कार्यरत टाईप-I एवं टाईप-III में विहित प्रक्रिया से नियोजित कर्मियों को एवं समावेशी शिक्षा अंतर्गत कार्यरत संसाधन शिक्षक, प्रखंड साधन सेवी (समावेशी शिक्षा) एवं पुनर्वास विशेषज्ञों को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा दिये जाने का निदेश निर्गत है और इस आलोक में कार्यालय पत्रांक Acctts/74/2012-13/Part-VII/9652 दिनांक 21.11.2019 द्वारा जिला कार्यालय को E.P.F.O. में Establishment Code बिहार शिक्षा परियोजना जिला का नाम अंकित करते हुए पंजीकृत कराने हेतु निदेश दिया गया था।

उक्त निदेश के आलोक में जिला कार्यालय द्वारा कस्तूरबा गौंधी बालिका विद्यालय में कार्यरत टाईप-I एवं टाईप-III में विहित प्रक्रिया से नियोजित कर्मियों को एवं समावेशी शिक्षा अंतर्गत कार्यरत संसाधन शिक्षक, प्रखंड साधन सेवी (समावेशी शिक्षा) एवं पुनर्वास विशेषज्ञों के वेतन से EPF राशि की कटौती कर E.P.F.O. को Online जमा किया जा रहा है।

जिला कार्यालय के प्रबंधकीय संरचना के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों के नियोक्ता जिला कार्यालय ही होते हैं और जिला को अब वर्तमान में E.P.F.O. से Establishment Code प्राप्त है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि जिले में प्रबंधकीय संरचना अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मियों को जिले के Establishment Code के अंतर्गत पंजीकृत करते हुए माह अप्रैल, 2021 से E.P.F. राशि की कटौती कर E.P.F.O. में जिला स्तर से ही जमा करना सुनिश्चित करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यालय के द्वारा नियुक्त जिलों में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों का ECR पूर्व की भाँति राज्य कार्यालय को ससमय उपलब्ध कराते रहेंगे।

विश्वासभाजन


(सजय सिंह)

राज्य परियोजना निदेशक  
दिनांक :- 01/03/2021

ज्ञापक :- Acctts/217/2014-15/ 1590

प्रतिलिपि :- प्रशासी पदाधिकारी, B.E.P.C., Patna एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिले को सूचनार्थ प्रेषित।

राज्य परियोजना निदेशक



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान  
सब पढ़ें सब बढ़ें